न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 71 / 2021
प्रविष्टि दिनांक 25–11–2021

मुंशी पुत्र रामपाल मीना निवासी ग्राम बाखरगंज तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला– टोक

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 23–9–2021 प्रकरण सं0 10 / 2021

उपस्थिति : (1) श्री बंसन्त कुमार जैन अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

<u>निर्णय</u> दिनांक 20–1–2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 23–9–2021 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 818 रकबा 0.87 है0,वाके ग्राम पायगा तह0 उनियारा पर उड़द की फसल काश्त कर अतिक्रमण का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, पेलन्टी कायम करने व 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट व राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस निवेदन किया है कि अपीलान्ट के विरूद्व पटवारी हल्का ग्राम पायगा ने राजकीय भूमि खसरा नम्बर 818 रकबा 0.87 है0, पर कब्जे की रिपोर्ट नायब तहसीलदार सोप के समक्ष पेश की जो गलत है। विवादित भूमि के सम्बन्ध में एकं वाद एस0डी0एम0 साहब के समक्ष चल रहा है इस कारण नायब तहसीलदार द्वारा पारित उक्त आलोच्य निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट नियत दिनांक को कैम्प पर उपस्थित हुआ था किन्तु राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करना स्वीकार नहीं किया था तथा विवादित भूमि के सम्बन्ध में वाद एस0डी0एम0 साहब के समक्ष विचाराधीन होना जाहिर किया था किन्तु इस तथ्य को नजरअन्दाज कर नायब तहसीलदार सोप ने भारी विधिक त्रृटी की है, इस कारण भी निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। एक सप्ताह पूर्व पुलिस अपीलान्ट की तलाश हेतु अपीलान्ट के घर आई थी, उस वक्त अपीलान्ट जयपुर गया हुआ था जयपुर से वापस गांव आने पर घरवालों से

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:59:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

पुलिस के आने व प्रकरण की जानकारी प्राप्त हुई। जिस पर तुरन्त नकल प्राप्त कर अपील पेश की जा रही है। अपील के पेश करने में कोई जानबूझ कर देरी नहीं की तथा अपील पेश करने में हुई देरी जानकारी के अभाव के कारण हुई है जो कि न्यायहित में क्षमा किये जाने योग्य है, इस हेतु दफा–5 का शपथ पत्र पृथक से अपील के साथ संलग्न है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23–9–2021 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है ओर उसके द्वारा विवादित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 818 रकबा 0.87 है0,वाके ग्राम पायगा पर अतिक्रमण करना स्वीकार है। अपीलान्ट द्वारा कथन किया कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में वाद एस0डी0एम0 साहब के समक्ष विचाराधीन है, किन्तु इसके समर्थन में कोई दस्तावेज भी पेश नही गया गया है। अपीलान्ट द्वारा इससे पूर्व भी अतिक्रमण कर फसल काश्त की गई थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 2390 दिनांक 26–2–2021 से बेदखल किया गया था जो पत्रावली में उपलब्ध पूर्व दस्तावेजों से साबित है। अपीलान्ट राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने की आदी है, ओर विवादित भूमि से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नम्बर 818 रकबा 0.87 है0,वाके ग्राम पायगा पर उड़द कह फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 25–11–2021 को न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेंने विविादित भूमि खसरा नम्बर 818 रकबा 0.87 है0,वाके ग्राम पायगा पर कोई नाजायज कब्जा नहीं है, जो कब्जा काश्त था वो हटा लिया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप का निर्णय दिनांक 23–9–2021 इस शर्त के साथ अपास्त किया जाता है कि यदि अपीलान्ट पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20–1–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)

कलक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:59:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते